

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना सं. 28/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)**

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2017

सा.का.नि.....(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 47 की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. (1) इन नियमों को आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा  
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 के नियम 5 में उप-वाक्य (क) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-वाक्यों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

“(क) किसी माह की 1 से 15 तारीख तक भुगतान के लिए लौटाए गए बिल ऑफ एंट्री से संबंधित वस्तुओं के लिए शुल्क का भुगतान उस महीने की 16 तारीख तक करना होगा;

(ख) मार्च महीने को छोड़कर किसी अन्य महीने की 16 तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक भुगतान के लिए लौटाए गए बिल ऑफ एंट्री से संबंधित वस्तुओं के लिए शुल्क का भुगतान आने वाले अगले महीने की पहली तारीख तक करना होगा; और

(ग) मार्च महीने के 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक भुगतान के लिए लौटाए गए बिल ऑफ एंट्री से संबंधित वस्तुओं के लिए शुल्क का भुगतान 31 मार्च तक करना होगा।”

[फा. सं. 450/81/2016-सीमाशुल्क (IV)]

(शैफाली जी. सिंह)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. 134/2016-सीमाशुल्क (गै.टै.) दिनांक 2 नवंबर, 2017 सा.का.नि. संख्या 1037(अ) दिनांक 2 नवंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

